भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

राजस्‍व विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं0 257

(जिसका उत्‍तर मंगलवार, दिनांक 01 दिसंबर, 2015/10 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

**वित्‍तीय लेन-देन के लिए इलैक्‍ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा दिया जाना**

**257.** श्री डी० कुपेन्‍द्र रेड्डी :

क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या व्‍यापारियों और उपभोक्‍ताओं को अपनी खरीद/बिक्री में इलैक्‍ट्रॉनिक भुगतान किए जाने को बढ़ावा देने हेतु कर लाभ एवं अन्‍य फायदा देने का प्रस्‍ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) क्‍या यह उपभोक्‍ताओं के लिए अपने इलैक्‍ट्रॉनिक भुगतान किए जाने हेतु किसी सेवा प्रभार, सुविधा शुल्‍क के भुगतान नहीं करने में सहायक होगा; और

1. यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है ?

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍यमंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

(क) : जहां तक केंद्रीय करों के भुगतान का संबंध है, अभी तक कर लाभ और उनके देय हेतु इलेक्‍ट्रॉनिक माध्‍यम से भुगतान करने के लिए अन्‍य फायदों को बढ़ाने से संबंधित कोई प्रस्‍ताव सरकार के विचारार्थ नहीं आया है। इसके अलावा, केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क/सेवा कर का भुगतान करना अनिवार्य होता है।

(ख) से (घ): उपर्युक्‍त भाग (क) के उत्‍तर को ध्‍यान में रखते हुए प्रश्‍न ही नहीं उठता।